दैनिक नवज्योति

NAVAJYOTI

DAINIK NAVJYOTI, JAIPUR, 28/11/2024

साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न

भारत के संदर्भ में चुनौतियां और सख्त कदम उठाने की जरूरत : अक्षत खेतान

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। अखिल भारतीय स्तर पर कानूनी सलाह उपलब्ध कराने वाली अग्रणी संस्था, एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज ने भारत में साइबर-बुलीइंग के खतरे का सामना कर रहे हर व्यक्ति की अनमोल जिंदगी बचाने और उसकी हिफाजत करने के लिए साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध एवं साइबर उत्पीड़न के क्षेत्र में नई राह दिखाने वाली पहल की शुरुआत की है।

आज के डिजिटल जमाने में टेक्नोलॉजी में हो रही प्रगति के साथ लोगों के बीच आपसी संपर्क, बातचीत करने और जानकारी साझा करने के तरीके में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। हालांकि टेक्नोलॉजी में इस जबरदस्त प्रगति ने साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न जैसी नई चुनौतियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं, जो भारत के साथ-साथ दुनिया भर में एक बड़ी सामाजिक चुनौती के तौर पर उभरकर सामने आ रहे हैं। इस मौके पर एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंडलीगल सर्विसेज के संस्थापक अक्षत खेतान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा भारत धीरे-धीरे डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न की वजह से सामने आने वाले खतरों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। नीति निर्माताओं, शिक्षकों, कानून लागू करने वाली संस्थाओं और आम लोगों को इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में हर साल साइबर धोखाधड़ी के लगभग 77,769 मामले दर्ज किए जाते हैं और लगातार बढ़ रही इस समस्या पर काबू पाने के लिए पर्याप्त कानूनी उपायों की आवश्यकता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयूसीएल पीड़ितों को हालात से उबरने में मदद करने के लिए युवा सलाहकारों की सेवा उपलब्ध कराएगा।